क्रम संख्या–131

पंजीकृत संख्या–डी0एन0 / आर0ओ0–181 / 2001

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001 ई0

अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2001

देहरादून, 28 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 को दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2001 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, 2001)

प्रारम्भिक

"उत्तरांचल में नियमित रूप से पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने हेतु अधिनियम"

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :–

अध्याय–1

1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम / विस्तार

1 (2) यह अधिनियम [illegible]

1 (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

परिभाषायें

2 इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

2 (1) 'परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् से है।

2 (2) 'आय–व्ययक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की आगणित प्राप्तियों व व्यय से है।

2 (3) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है।

2 (4) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के उपाध्यक्ष से है।

2 (5) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' का तात्पर्य परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है तथा 'अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी' का तात्पर्य परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है।

2 (6) 'वित्तीय वर्ष' का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिवस से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि से है।

2 (7) 'कोष' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उद्ग्रहीत पर्यटन कोष से है।

2 (8) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।

2 (9) 'पर्यटन व्यवसाय' का तात्पर्य निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी एक कार्य से है :–

2.9 (क) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सुविधायें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हों;

2.9 (ख) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों को परिवहन, आवासीय तथा भ्रमण या गाइड जैसी सुविधायें प्रदान की जा रही हों;

2.9 (ग) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से पर्यटन सम्बन्धी उत्पादों का व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्य अन्तर्निहित हो यथा उत्तरांचल में बनने वाला हस्तशिल्प, सोविनियर सामग्री आदि;

2.9 (घ) कोई भी अन्य अनुबन्ध समारोह, रेस्टोरेन्ट, मनोरंजन पार्क, रज्जूमार्ग, प्रदर्शनी, मेले, प्रचार अभियान या थीम पार्क आदि जिसके द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पर्यटकों को लाभ मिले या उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

परिषद् का गठन, समावेश तथा संरचना

3 (1) उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् का गठन किया जायेगा जो कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् कहलायेगी।

3 (2) परिषद् का कार्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित स्थान पर अवस्थित होगा।

3 (3) इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यह परिषद् एक निरन्तर चलने वाले संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी शक्तियों सहित सर्व मुद्रा होगी :

3.3 (क) चल–अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने एवं बेचने का अधिकार होगा;

3.3 (ख) किसी भी प्रकार का अभियोग परिषद् के नाम अथवा परिषद् द्वारा ही चलाया जायेगा;

3.3 (ग) ऐसे अन्य नियमों का क्रियान्वयन जो कि संगठन द्वारा कानूनी तौर पर समय–समय में किये जायेंगे।

3 (4) परिषद् की संरचना निम्नवत् होगी :–

3.4 (क) पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल शासन — पदेन अध्यक्ष

3.4 (ख) मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन — पदेन उपाध्यक्ष

3.4 (ग) सचिव पर्यटन, उत्तरांचल शासन — पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी

3.4 (घ) सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य–सचिव

3.4 (ङ) सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, लो0नि0वि0, परिवहन एवं नियोजन — पदेन सदस्य

3.4 (च) राज्य सरकार द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जो कि पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग में विशेष योग्यता रखते हों

4 कोई भी व्यक्ति परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता है यदि वह :— — सदस्य अयोग्य घोषित करना

4 (1) राज्य सरकार की राय में किसी नैतिक अक्षमता के आरोप में दोषी पाया जाता है;

4 (2) दिवालिया घोषित किया गया हो;

4 (3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो;

4 (4) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा या किसी साझेदार, नियोक्ता, कर्मचारी के माध्यम से किसी ठेके या व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी या वित्तीय सहभागिता न हो जिसके साथ परिषद् का सम्बन्ध हो;

4 (5) उत्तरांचल राज्य के अधीन किसी भी कम्पनी व्यवसाय या समिति में निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या किसी अन्य पद पर हो जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है।

स्पष्टीकरण—किसी भी व्यक्ति का जो कि किसी ऐसी कम्पनी या व्यवसाय का अंशभागी जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है, को केवल इसी कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

5 (1) किसी भी गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा बशर्ते कि उसका कार्यकाल उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना के द्वारा गजट के माध्यम से पूर्व में ही समाप्त न कर दिया गया हो। — गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों का कार्यकाल

5 (2) गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा त्याग–पत्र स्वीकृति की दशा में उनकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

6 (1) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद् की गतिविधियों में भाग लेने पर परिषद् द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक एवं भत्ते देय होंगे। — गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों के लिये पारिश्रमिक एवं भत्ते आदि

अध्याय–2

परिषद् के अधिकार एवं कार्य

7 (1) परिषद् के कार्य निम्नवत् होंगे :— — परिषद् के कार्य

7.1 (1) उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु नीतियां/रणनीतियां तैयार करना।

7.1 (2) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ़ करने जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मिलित है, हेतु दिशा–निर्देश एवं योजना तैयार करना।

7.1 (3) पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हीकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनको समयबद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।

7.1 (4) पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम मानक व नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करना।

7.1 (5) पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढावा देने हेतु योजना तैयार करना।

7 (2) (क) परिषद् उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करेगी एवं उत्तरांचल को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी।

7.2 (ख) पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

7.2 (ग) उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तरांचल एवं बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किया जायेगा।

7 (3) परिषद् पृथक–पृथक समितियों का गठन करेगी जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे जो कि उपलब्ध संसाधनों का आंकलन, विकास योजनाओं को तैयार करेंगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु गुणवत्ता सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन हेतु परिषद् द्वारा शर्तों निर्धारित की जायेंगी।

7 (4) परिषद् पर्यटन परियोजनाओं नियोजन, कार्यान्वयन एवं परीक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं कन्सलटैन्ट परामर्शदाताओं ऐजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकती है।

7 (5) उत्तरांचल के समस्त धार्मिक पर्यटक स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद् मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

7 (6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

परिषद् की शक्तियां

8 (1) इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् एक नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

8 (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित परिषद् ऐसी गतिविधियां जो कि परिषद् के कार्य को सम्पादित करने में लाभकारी, आवश्यक अथवा सुगम हों, का प्रयोग किया जायेगा और परिषद् द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है :–

8.2 (क) पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों हेतु नियमो एवं मानकों का गठन पालन करना;

8.2 (ख) पर्यटन से सम्बन्धित व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा–पत्र, मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे और उनसे इस प्रकार के कार्य की अनुज्ञा हेतु जो शुल्क इत्यादि प्राप्त किये जायेंगे उनके लिये शर्तें तैयार करना;

8.2 (ग) कोई भी चल एवं अचल सम्पत्तियां जो परिषद् की हैं उसको परिषद् उपयुक्तता के आधार पर क्रय करना, रोकना, बन्धक रखना, किसी के नाम स्थानान्तरित करना, प्रयोग हेतु अधिकृत करना, अभिलेख जमा करना, मृत्यु उपरान्त स्वामित्व नामांकन करना, निस्तारण करना इत्यादि परिषद् हित में कर सकती है;

8.2 (घ) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिषद् किसी के साथ अनुबन्ध अथवा समझौता कर सकती है;

8.2 (ङ) परिषद् किसी भी सेवा के बदले शुल्क अथवा भुगतान जो परिषद् तय करेगी, को प्राप्त कर सकती है;

8.2 (च) परिषद् अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो उसको प्रदत्त हैं एवं जो नियमतः परिषद् हित में हैं या जो शासन द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये हैं उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी;

8.2 (छ) परिषद् के चिन्ह का निर्धारण करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

9 (1) परिषद् का समस्त कार्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

9 (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

9 (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी :–

9.3 (क) परिषद् के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कार्य का सम्पादन करेगा;

9.3 (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

9 (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अस्थाई रूप से अनुपस्थित अथवा अस्थाई रूप से बीमार रहने या अन्य कारण से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में परिषद् अथवा शासन द्वारा ऐसे दिवसों में कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10 (1) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) की नियुक्ति उत्तरांचल शासन द्वारा की जायेगी।

10 (2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) परिषद् के सदस्य सचिव भी होंगे।

अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

11 (1) परिषद् समय–समय पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित सेवा शर्तों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

11 (2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवायें पर्यटन परिषद् में संविलीन होंगी वे यथावत सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा राजकीय सेवा नियमावली के अनुरूप कार्यरत रहेंगे उनको शासन द्वारा समय–समय पर सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों को मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेज्यूटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।

11 (3) परिषद् को अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी विभागों/निगमों/संस्थानों व अन्य अधिष्ठानों से नियुक्ति का अधिकार होगा।

समितियों की नियुक्ति तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

12 (1) परिषद् समय–समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् द्वारा गठित समिति को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त अधिकार/कर्तव्य व शक्तियों के प्रयोग हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये परिषद् की तरफ से प्रयोग करने हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इस प्रकार की गठित समिति को अधिकृत कर सकती है (जैसी स्थिति हो)।

12 (2) इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये यदि कोई अधिकार अथवा कर्तव्य या शक्ति किसी को परिषद् प्रदान करती है और यदि परिषद् शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को उचित न मानते हुये वापस नहीं ले सकती है।

परिषद् की आय–व्ययक व्यवस्था

13 (1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष आगणित प्राप्तियों एवं व्यय का एक वित्तीय प्रपत्र उस वर्ष के लिये तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। परिषद् अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में भी प्रपत्र शासन को यथा समय प्रस्तुत करेगी।

13 (2) वार्षिक आय–व्ययक विवरण व अनुपूरक मांगों को नियमानुसार तैयार कर निर्धारित समय सीमा में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

13 (3) (क) राज्य सरकार वार्षिक आय–व्ययक अथवा नियमानुसार अनुपूरक मांगों को सम्पूर्ण रूप से अथवा संशोधित जो भी उपयुक्त हो, पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

13.3 (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक मांगों को परिषद् उस वर्ष का वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक मांगों के रूप में उपयोग करेगी।

13 (4) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिषद् को अधिनियम के अन्तर्गत वहन हेतु धनराशि जो उस वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक होगी, को अनुदान, ऋण इत्यादि के रूप में देगी।

13 (5) राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य एवं विशेष दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिषद् वार्षिक आय–व्ययक प्रपत्र तथा अनुपूरक वित्तीय प्रपत्र के अनुरूप स्वीकृतियों का पुनर्विनियोग एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखा शीर्षक में हस्तान्तरित किया जा सकता है।

पर्यटन कोष की स्थापना एवं प्रशासन

14 (1) परिषद् एक कोष की स्थापना करेगी जिसका नाम 'पर्यटन कोष' होगा जिसक नियंत्रण एवं प्रशासन परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

14 (2) समस्त धनराशि जो भी परिषद् को अथवा परिषद् के नाम पर प्राप्त होगी, को पर्यटन कोष में जमा किया जायेगा।

14 (3) परिषद्, अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों से आवश्यकतानुसार ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, उपहार आदि, शुल्क, कर, उपकर इत्यादि प्राप्त करेगा।

14 (4) कोष निम्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जायेगा :-

14.4(1) परिषद् के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु;

14.4(2) अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त व्यय।

लेखा एवं सम्परीक्षा

15 (1) परिषद् अपने लेखा सम्बन्धी समस्त पुस्तकों एवं अभिलेखों जो परिषद् के कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक है, का उपयोग एवं रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत करेगी, जैसा कि शासकीय गजट में अधिसूचित किया गया हो।

15 (2) परिषद् प्रतिवर्ष वार्षिक लेखाबन्दी पर एक वार्षिक लेखा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार तैयार करेगी और उनका वार्षिक सम्प्रेक्षण करायेगी।

15 (3) परिषद् की सम्परीक्षा महालेखाकार, उत्तरांचल अथवा उनके स्थान पर उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15 (4) परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक सम्परीक्षा आख्या तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक आख्या

16 (1) प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैसा सम्भव होगा, परन्तु 30 सितम्बर के पूर्व ही एक वार्षिक लेखा आख्या व सम्परीक्षा आख्या उस वित्तीय वर्ष की राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

16 (2) शासन जैसे ही सम्भव होगा, उक्त आख्या को विधान सभा में सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय--3

विविध--प्राविधान

अभियोग एवं न्यायिक कार्यवाही

17 (1) अध्यक्ष परिषद के नियंत्रण के अधीन परिषद् की तरफ से निम्नांकित कार्य कर सकता है :-

17.1 (1) वह परिषद् की तरफ से न्यायिक कार्यवाही कर सकता है, किसी को दोषमुक्त कर सकता है, किसी के विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही को वापस ले सकता है;

17.1 (2) वह किसी भी दावे को स्वीकार कर सकता है, किसी के साथ समझौता कर सकता है अथवा किसी दावे को वापस भी कर सकता है।

17 (2) कोई भी अभियोग मुकदमा किसी भी रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी या किसी सदस्य, परिषद् में कार्यरत अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं चलाया जा सकता है।

परिषद् के चिन्ह का प्रयोग

18 (1) कोई भी व्यक्ति जो परिषद् के बिना अनुमति के परिषद् के प्रतीक का प्रयोग करता है अथवा परिषद् के प्रतीक से लगभग मिलते-जुलते प्रतीक का प्रयोग करता है जिससे किसी भी तरह का भ्रम पैदा होने की सम्भावना हो, एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा और रु0 50,000/-(रु0 पचास हजार मात्र) तक अधिकतम दण्ड उससे वसूल किया जा सकता है। इसके पश्चात् भी यदि लगातार उक्त की पुनरावृत्ति होती है तो पुनः अधिकतम रु0 1,000/- (रु0 एक हजार मात्र) तक प्रतिदिन के दर से जिस दिन से प्रथम बार उक्त अपराध किया गया है, गिनते हुये दण्ड लगाया जा सकता है।

कार्य प्रणाली

19 (1) परिषद् अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से प्राप्त किसी शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर ही कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

9 (2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यून न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

नियम एवं व्यवस्था

20 (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार परिषद् के सुसंचालन हेतु नियम विहित कर सकेगी।

20 (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिषद् के सुसंचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये नियमों के क्रम में परिषद् विनियमन बना सकती है।

20 (3) सर्वसाधारण को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप धारा (1) में निम्न विनियमन उपबन्धित किये जा सकते हैं :–

20.3 (1) परिषद् की बैठकें आयोजित करने, बैठकों में व्यवहृत की जाने वाली प्रक्रिया विहित करने तथा समय–समय पर बैठकें आयोजित करने सम्बन्धी ;

20.3 (2) नियुक्ति अथवा परिषद् के सदस्यों में से समितियों की स्थापना तथा परिषद् के सदस्यों से अतर व्यक्तियों से ऐसी समितियां सहयोजित करना ;

20.3 (3) परिषद् की ओर से अभिलेखों, चेकों एवं किसी प्रकार के लिखतों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करना अथवा निष्पादन करना।

परिषद् का विघटन

21 (1) यदि राज्य सरकार की राय में परिषद् इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को संचालित करने में विफल हो गई है अथवा किसी भी अन्य कारण से परिषद् को आगे चलाना आवश्यक नहीं है, ऐसी दशा में गजट में अधिसूचना के माध्यम से परिषद् के विघटन की अधिसूचना जारी की जा सकती है तथा अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से परिषद् का विघटन माना जायेगा।

21 (2) उक्त अधिसूचना की धारा 21 (1) द्वारा परिषद् के विघटन के प्रकाशन के संदर्भ में :–

21.2 (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद् के सभी सदस्य परिषद् के विघटन की तिथि से अपना पदभार छोड़ देंगे;

21.2 (2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् अथवा परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जाने वाली समस्त शक्तियां और कार्य परिषद् के विघटन की तिथि से राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जायेंगे कि उसके और अस्तित्वयुक्त संविदाओं, करारों तथा अन्य लिखत जिसमें परिषद् पक्षकार है अथवा जो परिषद् के पक्ष में है प्रवर्तनीय होगी अथवा क्रियान्वित होगी और समस्त पक्ष और विरुद्ध लम्बित वाद, अपीलें तथा समस्त विधिक कार्यवाहियां यथावत राज्य सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जैसा हो, के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी;

21.2 (3) परिषद् में निहित कोष एवं अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित मानी जायेंगी; और

21.2 (4) परिषद् के विरुद्ध प्रवर्तनीय विधिक अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय माने जायेंगे।

21 (3) धारा 21 (1) अथवा 21 (2) में किसी बात के होते हुये राज्य सरकार किसी भी समय अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिषद् की स्थापना कर सकती है, तब :–

21.3 (1) धारा 21.2 (2) में निहित अधिकार और कर्तव्यों के साथ ही साथ समस्त शक्तियां और कार्य संविदा, करार तथा अन्य लिखत और वाद अपीलें एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां परिषद् में पुनः निहित हो जायेंगी।

21.3 (2) धारा 21.2 (3) में वर्णित कोष तथा अन्य सम्पतियां, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त दायित्व धारा 21.2 (4) के अधीन पुनः परिषद् में निहित हो जायेंगे।

आज्ञा से,